कर्नाटक सरकार की कार्यवाही

विषय : विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए राज्य नीति – 2009

संदर्भ : सरकारी आदेश संख्या सीआई 252 एसपीआई 2001 दिनांक 25 फरवरी, 2002

प्रस्तावना :

भारत सरकार ने निर्यात के लिए माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी एवं बाधामुक्त परिवेश प्रदान करने के उद्देश्य से एक्जिम नीति 1997 – 2002 में एक संशोधन के माध्यम से वर्ष, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संकल्पना की घोषणा की है। इन एसईजेड को वस्तुत: देश के अंदर विदेशी क्षेत्र समझा जाएगा जो आयात और निर्यात को अभिशासित करने वाले सभी नियमों एवं विनियमों से मुक्त होंगे। एसईजेड विशेष रूप से औद्योगिक, सेवा तथा व्यापार प्रचालन के प्रयोजनार्थ ड्यूटी फ्री एंक्लेव माना जाता है जिन्हें सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होती है और लेवी, विदेशी निवेश तथा अन्य लेन-देन पर अधिक उदार व्यवस्था अपनाई जाती है। निवेशक तथा उद्योग हितैषी परिवेश का सृजन करने के लिए घरेलू विनियमों, प्रतिबंधों तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। एसईजेड उत्कृष्टता एवं दक्षता के आईलैंड होंगे।

ये एसईजेड किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए हो सकते हैं जिसमें केवल एक या अधिक उत्पादों का उत्पादन हो सकता है या एक क्षेत्र में एक या अधिक सेवाओं के लिए हो सकते हैं। विकल्प के रूप में, एसईजेड बहु-उत्पाद एसईजेड हो सकते हैं जहां दो या अधिक क्षेत्रों में आने वाले किसी क्षेत्र या माल में दो या अधिक माल के विनिर्माण के लिए या किसी क्षेत्र में दो या अधिक सेवाओं के व्यापार एवं भंडारण या प्रदान करने या दो या अधिक क्षेत्रों में आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक, निजी या संयुक्त क्षेत्रों में या राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा या पीपीपी आधार के माध्यम से एसईजेड विकसित किए जा सकते हैं। इनसे विशाल, आत्मनिर्भर क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है जहां निर्यात उत्पादन के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध होगी। एसईजेड की संकल्पना की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने पर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तथा रोजगार के नए अवसरों के सृजन की दृष्टि से राज्य को काफी लाभांश प्राप्त होगा। उम्मीद है कि एसईजेड नए आर्थिक विकास के इंजन होंगे।

भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 अधिसूचित की है। एसईजेड अधिनियम अध्याय-8 की धारा 50 के माध्यम से निम्नलिखित छूट प्रदान करने के लिए राज्य की शक्तियों का उल्लेख करता है :

(क) विकास या उद्यमी को राज्य करों, लेवी एवं ड्यूटी से छूट प्रदान करना।

(ख) किसी राज्य अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्तियां विकासक या उद्यमी के संबंध में विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित करना।

एसईजेड की स्थापना की प्रक्रिया के संबंध में एसईजेड नियमावली, 2006 के अध्याय-2 के नियम 5 (5) के अनुसार, राज्य सरकार को इस दिशा में प्रयास करने का भी निदेश दिया गया है कि अनुमोदन के लिए भारत सरकार को एसईजेड के लिए किसी प्रस्ताव की सिफारिश करने से पूर्व प्रस्तावित एसईजेड की यूनिटों एवं विकासकों के लिए राज्य में निम्नलिखित उपलब्ध कराए जाएं :

(क) किसी यूनिट या विकासक द्वारा अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित माल तथा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में किसी यूनिट द्वारा बेचे गए माल, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से खरीदे गए तथा इस रूप में बेचे गए माल को छोड़कर, पर स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया स्टांप शुल्क एवं कर सहित राज्य एवं स्थानीय करों, लेवी एवं ड्यूटी से छूट;

(ख) एसईजेड के प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादन या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्युत शुल्क या करों से छूट;

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार एसईजेड के अंदर विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण की अनुमति प्रदान करना;

(घ) पानी, बिजली तथा ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना जो प्रदान करने या प्रदान करवाने के लिए विकासक द्वारा अपेक्षित हो सकती हैं;

(ङ) यूनिट तथा विकासक द्वारा नियुक्त मजदूरों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा अन्य संबद्ध अधिनियमों के तहत विकास आयुक्त को शक्ति प्रत्यायोजित करना;

(च) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एसईजेड को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रूप में घोषित करना;

(छ) विकासक और यूनिट को राज्य अधिनियमों एवं नियमों के तहत एकल बिंदु क्लीयरेंस प्रणाली प्रदान करना।

राज्य में सार्वजनिक, निजी या संयुक्त क्षेत्रों द्वारा या राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों द्वारा एसईजेड के विकास को सहायता प्रदान करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नीति घोषित करने की आवश्यकता है।

अत: यह नीति एवं आदेश जारी किया जाता है।

सरकारी आदेश संख्या सीआई 114 एसपीआई 2007 बंगलौर, दिनांक 28 फरवरी, 2009

आदेश के प्रस्तावना खंड में उल्लिखित परिस्थितियों में सरकार इस सरकारी आदेश के अनुबंध में उल्लेख के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए राज्य नीति, 2009 की घोषणा करती है। यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा उनमें स्थापित की जाने वाली एसईजेड यूनिटों के विकास, प्रचालन तथा प्रबंधन को अभिशासित करेगी।

यह आदेश अशासकीय नोट सं. एफडी/213/सीएसएल/2008; दिनांक 26 दिसंबर, 2008 के माध्यम से वित्त विभाग, अशासकीय नोट सं. ..../342/...../2008; दिनांक 16 जनवरी, 2009 के माध्यम से राजस्व विभाग, अशासकीय नोट सं. ..../6470/...../2008; दिनांक 1 जनवरी, 2009, ऊर्जा विभाग, अशासकीय नोट सं. यूडीडी/238/बीएमआर/2008; दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के माध्यम से शहरी विकास विभाग, अशासकीय नोट सं. पीडब्ल्यूडी/188/पीएसपी/2008; दिनांक 5 सितंबर, 2008 के माध्यम से सार्वजनिक कार्य, पत्तन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, अशासकीय नोट सं. एफईई/91/सचिव-पर्या/2008; दिनांक 26 अगस्त, 2008 के माध्यम से वन, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण विभाग, अशासकीय नोट सं. आईटीबी/44/एमडीए/2008; दिनांक 19 सितंबर, 2008 के माध्यम से आईटी, बीटी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अशासकीय नोट सं. एलडी/281/एलईटी/2008; दिनांक 8 सितंबर, 2008 के माध्यम से श्रम विभाग और अशासकीय नोट सं. आईडी/59/आईटीएस/2008; दिनांक 16 सितंबर, 2008 के माध्यम से अवसंरचना विकास विभाग की सहमति से जारी किया जाता है।

सरकारी आदेश संख्या सीआई 252 एसपीआई 2001 दिनांक 25 फरवरी, 2002 के माध्यम से घोषित राज्य एसईजेड नीति वापस ली जाती है।

कर्नाटक के राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम में
हस्ता/-
(सुबीर हरि सिंह)
प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

सरकारी आदेश संख्या सीआई 114 एसपीआई 2007 दिनांक 28 फरवरी, 2009 का अनुबंध

राज्य विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, 2009

1. प्रस्तावना

राज्य सरकार ने 9 प्रतिशत से अधिक जीएसडीपी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए 12 प्रतिशत की दर से औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विनिर्माण उद्योग को सुदृढ़ करने पर बल देने तथा जीएसडीपी का वर्तमान शेयर 16.7 प्रतिशत के वर्तमान औसत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय निर्यात में कर्नाटक के निर्यात का शेयर वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

रणनीतियों में, नीति औद्योगिक अवसंरचना के विकास पर बल देती है। विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से आर्थिक विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट औद्योगिक अवसंरचना के अलावा एसईजेड को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एसईजेड अधिनियम, 2005 और इसके फलस्वरूप बनाई गई एसईजेड नियमावली, 2006 देश में एसईजेड की स्थापना को अभिशासित करती है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार से अपनी स्वयं की नीतियां बनाने तथा संगत राज्य स्तरीय अधिनियमों / विनियमों में आवश्यक संशोधन करने की अपेक्षा है।

औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को प्रेरित करने में एसईजेड की क्षमता को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार कर्नाटक में एसईजेड की स्थापना को सुगम बनाने एवं सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति एसईजेड के स्वस्थ प्रसार को प्रोत्साहित करेगी।

2. उद्देश्य

इस नीति का प्रमुख उद्देश्य एसईजेड की स्थापना को सुगम बनाना और तेज करना तथा साथ ही, भूस्वामियों के अधिकारों तथा पर्यावरण की रक्षा करना भी है। नीति प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों पर स्पष्टता के अलावा प्रोत्साहनों, सहायक उपायों के एक पैकेज का भी प्रावधान करती है।

3. नीतिगत उपाय

1. एकल बिंदु क्लीयरेंस

कर्नाटक उद्योग (सुगमता) अधिनियम, 2002 के अनुसरण में गठित राज्य उच्चस्तरीय क्लीयरेंस समिति (एसएचएलसीसी) एसईजेड परियोजनाओं पर विचार करने और अनुमोदन करने तथा अनुमोदन के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने के लिए एसईजेड के विकासक / सह विकासक के लिए एकल बिंदु क्लीयरेंस के रूप में काम करेगी।

एसईजेड यूनिटों के लिए एकल बिंदु क्लीयरेंस के लिए राज्य सरकार विकास आयुक्त, एसईजेड की अध्यक्षता में गठित यूनिट अनुमोदन समिति को क्लीयरेंस की अपनी सभी शक्तियां प्रत्यायोजित करने पर विचार करेगी तथा एसईजेड यूनिटों को आवश्यक क्लीयरेंस एवं अनुमोदन प्रदान करने के लिए एसईजेड के नामित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में काम करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी विकास आयुक्त के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

2. एसईजेड के लिए भूमि

एसईजेड के प्रस्तावक संयुक्त विकास / पट्टा भूमि सहित अपनी स्वयं की भूमि का उपयोग कर सकते हैं अथवा निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी द्वारा अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं :

(क) अनुमोदित मास्टर प्लान में भूमि प्रयोग की पुष्टि के अधीन भूस्वामियों से परिवर्तित भूमि खरीदना।

(ख) एसएचएलसीसी के अनुमोदन से कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम की धारा 109 के तहत भूमि खरीदना। राजस्व विभाग एसएचएलसीसी के समुचित अनुमोदन के बाद तथा कानून के अनुसार भूमि खरीदने में सहायता प्रदान कर सकता है।

(ग) राज्य सरकार या इसके उपक्रम एसएचएलसीसी के अनुमोदन से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अधिग्रहीत भूमि में से भूमि एसईजेड को आवंटित कर सकते हैं। भूमि का ऐसा आवंटन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

(घ) राज्य सरकार एसएचएलसीसी के अनुमोदन से एसईजेड के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर सकती है तथा केआईएडी अधिनियम, 1966 के अनुसार संबंधित एसईजेड के विकासक / सह विकासक को ऐसी भूमि का

अंतरण किया जाएगा। भूमि का ऐसा अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

(ङ) भूमि का अधिग्रहण / क्रय निम्नलिखित के अधीन होगा :

- एसईजेड वरीयत: बंजर, खराब, शुष्क तथा एकल फसली भूमि पर स्थापित किए जा सकते हैं। कृषि भूमि का प्रयोग न्यूनतम रखना होगा। कृषि भूमि का उपयोग सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगा।
- राज्य उच्चस्तरीय क्लीयरेंस समिति के लिए एसईजेड आवेदन में अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना शामिल होगी।

3. अवसंरचना सुविधाएं

निर्यात उन्मुख उत्पादन / प्रचालन के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से विकासक या सह विकासक को इस संबंध में भारत सरकार तथा कर्नाटक सरकार के दिशानिर्देशों / आदेशों के अनुसरण में एसईजेड में निम्नलिखित में से किसी या सभी अवसंरचना सुविधाओं तथा सेवाओं का विकास करने, निर्माण करने, संस्थापित करने, प्रचालित करने, प्रबंधन करने तथा अनुरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है :

(क) सड़कों एवं पुलों का प्रावधान;
(ख) विद्युत का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण;
(ग) जल निष्कर्षण, शोधन, पारेषण और वितरण;
(घ) लघु पत्तन एवं संबद्ध सेवाओं का प्रावधान;
(ङ) गैस वितरण नेटवर्क का प्रावधान;
(च) संचार तथा डाटा नेटवर्क पारेषण के लिए प्रावधान;
(छ) अपशिष्ट जल शोधन तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और
(ज) कोई अन्य सेवा जो एसईजेड यूनिटों के अबाध प्रचालन के लिए आवश्यक हो।

विकासक या सह विकासक सृजित की गई सुविधाओं के लिए तर्कसंगत प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली कर सकता है:

(क) सड़कों एवं पुलों का प्रावधान

विकासक / सह विकासक या उसका एजेंट एसईजेड के अंदर सड़क नेटवर्क, पुलों, परिवहन सेवाओं तथा किसी परिवहन प्रणाली का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकता है तथा ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए शुल्क लगा सकता है या नि:शुल्क प्रदान कर सकता है।

राज्य अपनी स्वयं की एजेंसी के माध्यम से या पीपीपी के माध्यम से मुख्य राजमार्गों से एसईजेड तक विश्वसनीय सड़क संपर्क को सुगम बनाएगा या विकासक / सह विकासक को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेगा तथा ऐसे मामले में विकासक / सह विकासक को सरकार द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क निर्धारित करने, वसूल करने और अपने पास रखने की अनुमति होगी।

(ख) विद्युत का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण

एसईजेड में विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को निम्नानुसार सुगम बनाया जाएगा :

ऐसा समझा जाएगा कि एसईजेड के लिए विकासक / सह विकासक या उसके एजेंट के पास अपने – अपने क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करने तथा इसके लिए वितरण नेटवर्क का विकास करने के लिए लाइसेंस है।

ऐसा समझा जाएगा कि विकासक / सह विकासक या उसके एजेंट के पास विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत लाइसेंस है।

यथास्थिति विकास / सह विकासक या उसके एजेंट के पास एसईजेड तथा उसमें गतिविधियों या अपने उपभोग के लिए किसी राज्य विद्युत कंपनी या निगम तथा केंद्रीय विद्युत आपूर्ति उपक्रम (सीसीयू) सहित किसी अन्य विद्युत उत्पादक से विद्युत का क्रय करने का विकल्प होगा। ऐसा समझा जाएगा कि ऐसे क्रेता के पास उपयुक्त पारेषण प्रभारों के भुगतान तथा पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत पारेषण एवं वितरण एजेंसी की पारेषण एवं वितरण प्रणाली का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन है।

एसईजेड या उनमें स्थित यूनिटों को बिजली की किसी बिक्री पर प्रयुक्त विद्युत पर विद्युत शुल्क या करों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

(ग) जल निष्कर्षण, शोधन, पारेषण और वितरण

विकासक / सह विकासक या उसके एजेंट को एसईजेड के अंदर जल निष्कर्षण, शोधन, पारेषण एवं वितरण के लिए प्रणालियां एवं सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति होगी, बशर्ते यथा अनुमोदित लागू सेवा मानकों का पालन किया जाएगा।

यथास्थिति एसईजेड में विकासक / सह विकासक या उसके एजेंट अथवा निर्धारित क्षेत्र में प्राधिकारी या उसके एजेंट को अपशिष्ट जल शोधन तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रणालियां एवं सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति होगी।

परंतु यह कि ऐसी प्रणालियों एवं सुविधाओं के लिए संगत प्राधिकरण द्वारा अपने विनियमों के तहत यथा अनुमोदित लागू सेवा मानकों का पालन किया जाता है।

(घ) लघु पत्तन एवं संबद्ध सेवाओं का प्रावधान

पत्तनों के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के अधीन विकासक / सह विकासक या उसका एजेंट एसईजेड में प्रयोग के लिए माल की उतराई के लिए तथा एसईजेड से माल के नौवहन के लिए एसईजेड के अंदर लघु पत्तन का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकता है।

विकासक / सह विकासक या उसका एजेंट राज्य सरकार के विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार अन्य कार्गो (जो एसईजेड के लिए नहीं है) की उतराई के लिए बंदोबस्त करेगा।

राज्य सरकार के निदेशों के अनुसरण में विकासक / सह विकासक या उसका एजेंट एसईजेड के अंदर लघु पत्तन में प्रवेश करने वाले वेजल से तथा उतारे गए एवं चढ़ाए गए माल पर टैरिफ नियत कर सकता है और वसूल कर सकता है।

(ङ) गैस वितरण नेटवर्क का प्रावधान

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई नीति के अधीन विकासक / सह विकासक या टाउनशिप प्राधिकारी एसईजेड में गैस वितरण प्रणाली स्थापित एवं अनुरक्षित कर सकता है।

(च) संचार तथा डाटा नेटवर्क पारेषण के लिए प्रावधान

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई नीति के अधीन विकासक / सह विकासक या टाउनशिप प्राधिकारी एसईजेड में संचार तथा डाटा नेटवर्क पारेषण प्रणाली स्थापित एवं अनुरक्षित कर सकता है।

4. श्रम से संबंधित मुद्दे

यूनिट तथा विकासक / सह विकासक द्वारा काम पर लगाए गए मजदूरों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत श्रम आयुक्त, कर्नाटक सरकार की शक्ति नामित विकास आयुक्त या अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएगी। विभिन्न श्रम कानूनों से संबंधित सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनुमोदन प्रदान करने के लिए श्रम विभाग से अधिकारी एसईजेड के नामित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

एसईजेड में सभी औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया जाएगा।

विभिन्न श्रम कानूनों के तहत विवरणियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी तथा एसईजेड में यूनिटें या विकासक / सह विकासक निम्नलिखित अधिनियमों के तहत आवधिक विवरणियों के स्थान पर विकास आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र में समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं :

I. **कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923**
II. **भुगतान और मजदूरी अधिनियम, 1936**
III. **कारखाना अधिनियम, 1948**
IV. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948**
V. **प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961**
VI. **बोनस भुगतान अधिनियम, 1965**
VII. **संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970**
VIII. **कर्नाटक दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1961**
IX. **ऐसे अन्य अधिनियम जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।**

जब संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाना होगा, तो उसे भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्दिष्ट किया जाएगा।

v. राजकोषीय लाभ

एसईजेड में प्रचालन करने वाले विकासक, सह विकासक और यूनिटों को निम्नलिखित राजकोषीय लाभ प्रदान किए जाएंगे :

I. एसईजेड के विकासकों और सह विकासकों के लिए :

(क) एसईजेड में संपूर्ण क्षेत्र के अधिकृत प्रचालनों के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय को छोड़कर सभी क्रय पर राज्य तथा स्थानीय निकायों के करों या लेवी या उपकर जैसे कि बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, विशेष प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी। यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ या बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(ख) भूमि तथा ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

परंतु यह कि एसईजेड के विकास के लिए विकासक / सह विकासक तथा भूस्वामियों के बीच और विकासक एवं सह विकासक के बीच भूमि के लेन-देन से संबंधित स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के संबंध में छूट केवल पहली बार लेन-देन के लिए उपलब्ध होगी। केआईएडीबी द्वारा अधिग्रहीत एवं आवंटित भूमि के लिए, स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से छूट पट्टा विलेख / पट्टा सह बिक्री विलेख के निष्पादन तथा निरपेक्ष बिक्री विलेख के निष्पादन, दोनों समय उपलब्ध होगी।

(ग) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्युत शुल्क या करों से छूट प्राप्त होगी।

(घ) विकासक / सह विकासक द्वारा वहन की गई निर्माण लागत पर 1 प्रतिशत श्रम कल्याण उपकर की छूट होगी।

(ङ) प्रत्येक सीईटीपी / एसईजेड के लिए 100 लाख रूपए की सीलिंग के अधीन सामान्य निस्सारी शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए वहन की गई लागत के 50 प्रतिशत तक एकबारगी पूंजी सब्सिडी।

(च) किसी अन्य राज्य कर, उपकर, ड्यूटी या लेवी से छूट, जो समय – समय पर एसईजेड के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।

II. एसईजेड यूनिटों के लिए :

(क) एसईजेड की यूनिटों की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अथवा निर्माण, व्यापार, उत्पादन, प्रसंस्करण, संयोजन, मरम्मत, रिकंडीशनिंग, रिइंजीनियरिंग या पैकिंग के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र या एसईजेड क्षेत्र से

प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित एसईजेड यूनिटों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय को छोड़कर सभी क्रय पर राज्य तथा स्थानीय निकायों के करों या लेवी या उपकर जैसे कि बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, विशेष प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी। यह छूट मूल्यवृद्धि के साथ या बगैर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं होगी, यदि बेचे जाने पर लागू राज्य कर लगाए जाते हैं।

(ख) प्रसंस्करण क्षेत्र में औद्योगिक भूमि / निर्मित स्थान और ऋण / क्रेडिट दस्तावेजों के संबंध में पट्टा विलेखों / उप पट्टा विलेखों से पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।

परंतु यह कि एसईजेड विकासक / सह विकासक तथा यूनिटों के बीच औद्योगिक भूमि / निर्मित स्थान के लेन-देन से संबंधित स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के संबंध में छूट केवल पहली बार लेन-देन के लिए उपलब्ध होगी।

(ग) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए स्वयं उत्पादित या खरीदी गई बिजली की बिक्री पर विद्युत शुल्क या करों से छूट प्राप्त होगी।

(घ) विकासक / सह विकासक द्वारा वहन की गई निर्माण लागत पर 1 प्रतिशत श्रम कल्याण उपकर की छूट होगी।

(ङ) किसी अन्य राज्य कर, उपकर, ड्यूटी या लेवी से छूट, जो समय – समय पर एसईजेड के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।

vi. एमएसएमई तथा आईटी / बीटी यूनिटों का पंजीकरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से उद्यमी ज्ञापन, मंजूरी पत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी / जैव प्रौद्योगिकी यूनिटों का पंजीकरण स्वीकार करने की शक्ति एसईजेड में यूनिटों के संबंध में विकास आयुक्त या अन्य नामित प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएगी।

vii. कानून व्यवस्था

राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसईजेड के अंदर उपयुक्त एवं अनन्य व्यवस्था करेगी।

viii. निरीक्षण

कर्नाटक सरकार के किसी विभाग / एजेंसी का कोई प्राधिकारी / प्रतिनिधि प्रसंस्करण क्षेत्र में निरीक्षण के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए एसईजेड के विकास आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से कोई भौतिक निरीक्षण करेगा।

ix. विकास आयुक्त

राज्य में एसईजेड से संबंधित सभी मामलों का समन्वय एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत एसईजेड के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त विकास आयुक्त या अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

x. औद्योगिक टाउनशिप के रूप में एसईजेड

एसईजेड को कर्नाटक नगरपालिका (तीसरा) संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया जाएगा ताकि एसईजेड स्वशासी एवं स्वायत्त नगरपालिका निकाय के रूप में काम कर सके।

xi. शर्तें एवं निबंधन

एसएचएलसीसी निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों पर एसईजेड परियोजना अनुमोदित करेगी :

(क) एसईजेड के विकासक / सह विकासक / एसईजेड यूनिट को स्थानीय व्यक्तियों / भूमि हरवैयों के प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना होगा तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना होगा और इन व्यक्तियों को रोजगार देना होगा।

(ख) एसईजेड के विकासक / सह विकासक / एसईजेड यूनिट को स्थानीय लोगों को समग्र आधार पर न्यूनतम 80 प्रतिशत जॉब प्रदान करना होगा।

(ग) जहां भी वेंडर विकास की संभावना होगी, एसईजेड के विकासक / सह विकासक / एसईजेड यूनिट एक वेंडर विकास योजना तैयार करेगी तथा स्थानीय व्यक्तियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगी और सेवा / निर्माण वेंडर उद्यम स्थापित करने में सहायता करेगी।

(घ) एसईजेड विकासक प्रभावित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सामाजिक अवसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए योजना तैयार करेगा तथा ऐसी सुविधाओं में शैक्षिक संस्थाएं, अस्पताल, जलापूर्ति की योजनाएं, सड़क आदि तथा अनुसूची के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल होगा।

(ङ) एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में एसईजेड के विकासक / सह विकासक / एसईजेड यूनिट द्वारा सृजित सुविधाएं जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि प्रभावित व्यक्तियों के लिए सुगम्य होंगे।

(च) एसएचएलसीसी के अनुमोदन के बाद विकासक / सह विकासक जिसने ऐसी भूमि के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त की है जो खंड 3 (2) में उल्लिखित ढंग से अधिग्रहीत की गई है, सरकार को स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क से छूट की राशि का वापस भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि उनके द्वारा अधिग्रहीत भूमि एसएचएलसीसी के अनुमोदन की तिथि से 2 साल की अवधि के अंदर भारत सरकार द्वारा एसईजेड के रूप में अधिसूचित नहीं की गई है।

(छ) एसईजेड के विकासक / सह विकासक / एसईजेड यूनिट इस नीति के तहत प्राप्त किए गए सभी राजकोषीय लाभों का सरकार को वापस भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे यदि विकासक / सह विकासक / एसईजेड यूनिट एसईजेड को लागू नहीं करती है या एसईजेड से बाहर निकल जाती है।

4. निगरानी एवं समीक्षा समिति

एसईजेड के कार्यान्वयन के अबाध प्रचालन, निगरानी एवं समीक्षा का सुनिश्चय करने के लिए कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :

1	मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
3	प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, ऊर्जा विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव / सचिव, कर्नाटक सरकार, आईटी एवं बीटी विभाग	सदस्य
6	प्रधान सचिव / सचिव, कर्नाटक सरकार, राजस्व विभाग	सदस्य
7	प्रधान सचिव / सचिव, कर्नाटक सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
8	प्रधान सचिव / सचिव, कर्नाटक सरकार, पीडब्ल्यूडी विभाग	सदस्य
9	प्रधान सचिव / सचिव, कर्नाटक सरकार, शहरी विकास विभाग	सदस्य
10	प्रधान सचिव / सचिव, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग	सदस्य
11	प्रधान सचिव / सचिव, कर्नाटक सरकार, अवसंरचना विकास विभाग	सदस्य
12	सचिव, कर्नाटक सरकार (एसएसआई), वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य

	विभाग	
13	**सचिव, कर्नाटक सरकार, जल संसाधन विभाग**	**सदस्य**
14	**वाणिज्य कर आयुक्त**	**सदस्य**
15	**सीईओ और ईएम, केआईएडीबी**	**सदस्य**
16	**एसईजेड के विकास आयुक्त**	**सदस्य**
17	**सदस्य सचिव, केएसपीसीबी**	**सदस्य**
18	**औद्योगिक विकास आयुक्त**	**सदस्य सचिव**

आवश्यक होने पर समिति विशेष आमंत्रिती के रूप में किसी अन्य सदस्य को आमंत्रित कर सकती है।

संबंधित एजेंसियों एवं अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए इस समिति द्वारा नीति के प्रशासन के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इस सरकारी आदेश / नीति की व्याख्या तथा उस पर इस समिति का निर्णय अंतिम होगा।

***